भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4041

25.03.2025 को उत्तर के लिए नियत

भारी वाहन मौलिक उपकरण विनिर्माताओं के बीच उचित परिपाटियों को बढ़ावा देना

4041. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कई भारी वाहन ओईएम मौलिक उपकरण विनिर्माता इस बात परबल दे रहे हैं कि ग्राहक केवल उनके स्वामित्व वाले डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड (डीईएफ) ब्रांड का उपयोग करें जिससे संभावित रूप से उपभोक्ता की पसंद सीमित हो सकती है और परिचालन लागत में वृद्धि हो सकती है;

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि ओईएम अपनी नीतियों में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि भारी वाहन खरीदने वाले ग्राहक वारंटी रद्द होने के जोखिम के बगैर किसी भी बीआईएस-प्रमाणित डीईएफ ब्रांड का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि बीआईएस-प्रमाणित डीजल एग्जॉस्टफ्लूइड कंपनियां गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए उच्चतम राष्ट्रीय मानक का प्रतिनिधित्व करती हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए ओईएम के बीच निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबिल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) से प्राप्त सूचनानुसार, ऑटोमोबिल मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) कभी-कभार उपभोक्ताओं को विशिष्ट अथवा समकक्ष ग्रेड और ब्रांड वाले डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड (डीईएफ) अन्य ब्रांडों से खरीदने की सलाह देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी मामले में वाहन के तकनीकी निष्पादन और सुरक्षा से समझौता न हो।

(ख) और (ग) : रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने लोकहित में भारतीय डीजल इंजन मानक- NOx रिडक्शन एजेंट AUS 32: भाग-I गुणवत्ता आवश्यकता [आईएस 17042 (भाग-I):2018] को 24 अगस्त, 2024 से अनिवार्य कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ताओं के लिए केवल मानक गुणवत्ता उत्पाद उपलब्ध रहें।

*****